

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 81/2019 (2019/00039) प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1—अब्बास पिता अनार खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—मंजुर पिता अनार खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—मुमताज बानु पत्नि सकुर मोहम्मद मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—शरीफ खां पिता बाबु खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—फरीद खां पिता बाबु खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—सरराज खां पिता बाबु खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—बरगद पुत्री बाबु खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—मु0 जुबेदा बेगम बेवा बाबु खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9—गुलजार खां पिता प्यार खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10—बिसमिल्लाह पुत्री प्यार खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11—मुनी पुत्री प्यार खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12—हफीजा पत्नि अनार खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1—दलेलसिंह पिता शंभु सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—विरेन्द्रसिंह पिता केसर सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—प्रभुसिंह पिता शंभु सिंह राजपूत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—प्रकाश चन्द्र पिता रामस्वरूप मुन्दड़ा (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—जाफर खां पिता हसन खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—जमाल खां पिता हसन खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—हकीम पिता नसीर खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—चान्द खां पिता दावद खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9—अलानुर खा पिता लतीफ खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10—सोहन पिता रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11—लक्ष्मण पिता रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12—नारायण पिता रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 13—जगदीश पिता डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 14—प्यार चन्द्र पिता नानु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

- 15-चतुर्भुज पिता नाथु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 16-मोहन पिता नाथू कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 17-डालु पिता नाथु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 18-आशा देवी पत्नि नरेन्द्रसिंह कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 19-सुशीला देवी शिव प्रकाश अजमेरा निवासी आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
 20-रतन पिता लेहरू जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद -

निर्णय

अधिवक्ता प्रार्थी गण
 दिनांक 11.09.2019


पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1531 रकबा 0.54 हे0, आराजी संख्या 406 रकबा 0.35 हे0, आराजी संख्या 407 रकबा 0.37 हे0, आराजी संख्या 408 रकबा 0.41 हे0, आराजी संख्या 914 रकबा 0.45 हे0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.12 हे0 भूमि खाता संख्या 13 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर की आराजी संख्या 4000 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.22 हे0 भूमि खाता संख्या 02 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों और सीमाओ के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने की वजह से पक्षकारन में दरमियान आपस सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते है तथा प्रार्थीगण को घास आदि काटने में, फसल काश्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 30.04.2019 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 12.06.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 से

15 से 18 व 20 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है।
था विपक्षी संख्या 14 व 19 के विरुद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी
इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है
तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक
न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
तहसीलदार रायपुर ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में
प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1531 रकबा 0.54 हे०, आराजी
संख्या 406 रकबा 0.35 हे०, आराजी संख्या 407 रकबा 0.37 हे०, आराजी संख्या 408 रकबा 0.41 हे०,
आराजी संख्या 914 रकबा 0.45 हे०, कुल किता 5 कुल रकबा 2.12 हे० भूमि खाता संख्या 13 पर दर्ज
होकर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर की आराजी संख्या 4000 रकबा 0.22
हे० कुल किता 01 कुल रकबा 0.22 हे० भूमि खाता संख्या 02 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी की
पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात
पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम
न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 200/- अक्षरे दो सौ रुपये
पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार
पांच सौ रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर
तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में
दाखला अंकित किया जावें।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा